न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान लादूराम बनाम गंगाराम

मुकदमा संख्या—प्र० 53/2022

24/09/24 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री गौरी शंकर शर्मा हाजिर। अप्रार्थी स्वयं/अप्रार्थी अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं आया, इसलिए प्रार्थी अधिवक्ता की पूर्व में एकपक्षीय बसह सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन करने पर न्यायालय यह पाता है कि विवादित आराजी प्रार्थी/अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। प्रथमदृष्टिया सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय–वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 की भूमि ग्राम लालपुरा, भू0अ0नि0 क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड जिला जयपुर के खसरा नम्बर 392/1 रकबा 2.5799 है0, खसरा नम्बर 392/3 रकबा 0.1644 है0, खसरा नम्बर 426 रकबा 0.1770 है0, खसरा नम्बर 428 रकबा 4.4515 है0, खसरा नम्बर 429 रकबा 0.1012 है0, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.4679 है0, खसरा नम्बर 431 रकबा 1.1508 है0, खसरा नम्बर 441 रकबा 0.2529 है0, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.2150 है0 पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24/09/2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम